



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092023-248901
CG-DL-E-22092023-248901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 2023/भाद्र 30, 1945

No. 651]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2023/BHADRA 30, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2023

फा. सं. पी. 15014/8/2023-एफआर.—भारतीय राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड 1 अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 362 (ई) दिनांक 5 मई, 2011 में प्रकाशित खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.3 के उप-नियम 1 के खंड (ii) के को द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अधीन निर्मित नियमों का पालन करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को मान्यता देता है-

2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से निम्नलिखित अध्ययन के विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि:-

“खाद्य तकनीक” अध्ययन के विषय (I) खाद्य इंजिनियरिंग (ii) खाद्य इंजिनियरिंग एवं तकनीक (iii) खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण (iv) खाद्य प्रसंस्करण तकनीक (v) खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन (vi) खाद्य जैवप्रौद्योगिकी	“कृषि विज्ञान” विषय के अन्तर्गत आने वाले अध्ययन के विषय (I) कृषि (ii) कृषि इंजिनियरिंग (iii) जैवप्रौद्योगिकी (iv) डेयरी तकनीकी (v) मत्स्य पालन (vi) खाद्य तकनीक
---	---

(vii) खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन (viii) खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन (ix) खाद्य प्रसंस्करण (x) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन (xi) प्रक्रिया एवं खाद्य इंजिनियरिंग	(vii) खाद्य पोषण एवं आहार-विद्या (viii) हॉर्टिकल्चर
--	--

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./433/2023-24]

टिप्पण: मुख्य नियम दिनांक 5 मई, 2011 को भारतीय राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (I) में जी.एस.आर 362 (ई) द्वारा प्रकाशित एवं यथा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2023

F. No. P. 15014/8/2023-FR.—In exercise of the powers conferred under clause (ii) of sub-rule 1 of rule 2.1.3 of the Food Safety and Standards Rules, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide notification number G.S.R.362 (E), dated the 5th May, 2011, the Food Safety and Standards Authority of India with the approval of the Central Government hereby makes the following courses recognized for the post of Food Safety Officer under the provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and the rules made thereunder, namely:-

2. A Bachelor's degree or Master's degree or Doctorate degree from a recognized University or institution in the following disciplines:-

Disciplines "Food Technology"	Disciplines deemed to be covered under "Agricultural Science"
(i) Food Engineering (ii) Food Engineering and Technology (iii) Food Processing and Preservation (iv) Food Processing Technology (v) Food Technology and Management (vi) Food Biotechnology (vii) Food Plant Operations Management (viii) Food Process Engineering and Management (ix) Food Processing (x) Food Safety and Quality Management (xi) Process and Food Engineering	(i) Agriculture (ii) Agriculture Engineering (iii) Biotechnology (iv) Dairy Technology (v) Fisheries (vi) Food Technology (vii) Food Nutrition and Dietetic (viii) Horticulture

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADV.T.-III/4/Exty./433/2023-24]

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (I), vide number G.S.R. 362 (E), dated the 5th May, 2011 and amended.